

आदेश ब इजलासा प्रकाश राजपुरोहित आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर
प्रकरण संख्या 561/2023 (धारा 14 शिक्कोरिटाईजेशन)
एडलवाईज असेट रिकन्सट्रक्शन कम्पनी लिमिटेड, ई-3, द्वितीय तल, दिल्ली प्रेस, सानी झारसी रोड,
झण्डेवाले, नई दिल्ली।

प्रार्थी वित्तीय संस्था

बनाम

1. गैसरा महावीरा एक्सपोर्ट्स जरिये पार्टनर श्री सतीश अग्रवाल एवं विमला अग्रवाल,
पता:- 224/3 एवं 4, राधा कृष्णा मार्केट, गली कुंजरा, दरीवा कालन, चांदनी चौक, दिल्ली।
2. श्री सतीश अग्रवाल पुत्र श्री महावीर प्रसाद अग्रवाल,
3. श्रीमती विमला अग्रवाल उर्फ विमला देवी पत्नी श्री महावीर प्रसाद अग्रवाल,
4. श्री महावीर प्रसाद उर्फ प्रसाद अग्रवाल पुत्र श्री गणपति लाल अग्रवाल,
5. श्रीमती अंजू अग्रवाल पत्नी श्री सतीश अग्रवाल,
पता:- ए-144, पुरानी गुप्ता कॉलोनी, नई दिल्ली।

अप्रार्थीगण

ऋणी एवं गारन्टर



The application under section 14 of The Securitisation
and Reconstruction of Financial Assets and
Enforcement of Security Interest Act, 2002

1. श्री शैलेन्द्र सिंह, अधिवक्ता प्रार्थी वित्तीय संस्था की ओर से।

आदेश

दिनांक 21.06.2023

1. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि वित्तीय संस्था/बैंक इंडसइंड बैंक लि. ने अप्रार्थी ऋणी को पुनर्भुगतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में अप्रार्थी श्री सतीश अग्रवाल के स्वामित्व की संपरिवर्तित संपत्ति, खसरा संख्या 646 से 655, ग्राम लाडांकाबास तहसील कोटपूतली, जयपुर, क्षेत्रफल 40,000 वर्गमीटर को बन्धक रख कर दिनांक 22.10.2012 को राशि 13,50,00,000/- रुपये एवं दिनांक 10.11.2020 को राशि 02,66,70,000/- रुपये कुल राशि 16,16,70,000/- रुपये की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। अप्रार्थी ऋणी द्वारा प्रार्थी वित्तीय संस्था को ऋण भुगतान करने में असफल रहने पर अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थी ऋणी को दिनांक 05.10.2021 को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किए गए। तत्पश्चात् दिनांक 28.03.2022 को इंडसइंड बैंक लि. द्वारा एडलवाईज असेट रिकन्सट्रक्शन कम्पनी लिमिटेड को जरिये असाइनमेन्ट एग्रीमेन्ट ऋणी का खाता स्थानान्तरित किया गया। नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज भुगतान नहीं करने पर प्रार्थी वित्तीय संस्था ने The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपने पास बन्धक सम्पत्ति का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक पुलिस इमदाद उपलब्ध कराने की इस्तदुआ की है।
2. प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रार्थी वित्तीय संस्था के सुयोग्य अधिवक्ता को गौर से सुना गया। पत्रावली एवं प्रस्तुत दस्तावेजों का भलीभांति अवलोकन किया गया।

५५०
जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर

3. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी वित्तीय संस्था ने अप्रार्थीगणों को कुल राशि 16,16,70,000/- रुपये का ऋण दिया है, जिसकी प्रतिभूति जमानत के रूप में अप्रार्थीगण ने उपरोक्त वर्णित सम्पत्ति बंधक के रूप में प्रार्थी वित्तीय संस्था के पास गिरवी रखी है। अप्रार्थीगण का ऋण खाता एन पी ए घोषित होने से नियमानुसार ऋण वसूली के लिए बकाया ऋण राशि 16,87,39,544/- रुपये की ऋण सुविधा जमा कराने हेतु अप्रार्थीगण को दिनांक 05.10.2021 को अधिनियम की धारा 13 (2) के अधीन रजिस्टर्ड नोटिस जारी किया गया है अप्रार्थीगण द्वारा उक्त नोटिस का वित्तीय संस्था को कोई जवाब नहीं दिया गया और अप्रार्थीगण द्वारा वित्तीय संस्था को बकाया ऋण राशि का भुगतान भी नहीं किया गया है। प्रकरण में वसूली योग्य बकाया राशि एक लाख रुपये से अधिक होने एवं 20 प्रतिशत से अधिक राशि बकाया होने से अधिनियम के प्रावधानों के तहत वित्तीय संस्था बन्धक रखी गई सम्पत्ति का कब्जा प्राप्त करने का अधिकारी है एवं अधिनियम की धारा 14 के तहत वित्तीय संस्था के पक्ष में बन्धक रखी गई सम्पत्ति का भौतिक कब्जा दिलाये जाने का स्पष्ट प्रावधान है। प्राधिकृत अधिकारी ने धारा 14 के समर्थन में आवश्यक शपथ प्रस्तुत कर दिया है।
4. अतः The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act. 2002 की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थी वित्तीय संस्था के पक्ष में अप्रार्थी श्री सतीश अग्रवाल के स्वामित्व की बंधक संपरिवर्तित संपत्ति, खसरा संख्या 646 से 655, ग्राम लाडाकाबास तहसील कोटपूतली, जयपुर, क्षेत्रफल 40,000 वर्गमीटर का भौतिक रूप से कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा जरिये सम्बन्धित पुलिस थाना प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते हैं।
5. आदेश की प्रति संबंधित पुलिस उपायुक्त जयपुर शहर/पुलिस अधीक्षक जयपुर ग्रामीण को भेज कर लिखा जावे की उक्त सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था को प्राप्त करने में सहयोग कर वित्तीय संस्था को दिलाने हेतु संबंधित थानाधिकारी को निर्देशित करें एवं पालना रिपोर्ट भिजवाने हेतु पाबन्द करे। आदेश की प्रति हसब कायदा जारी हो। पत्रावली नम्बर से कम होकर दाखिल कराने पर हो।
- अज्ञात आज दिनांक 21.06.2023 को सरे इजलास सुनाया गया।



(प्रकाश राजपुरोहित)
जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर